संख्या- / 2017 / 2767 / चार-2016-4(बजट)/2006

प्रेषक,

लुटावन राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद गौतमबुद्धनगर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक संकुल केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 2365/सं0नि-20(15)/2006-07 टीसी, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद गौतमबुद्धनगर में बहुउद्देशीय संकुल केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 60.00 लाख (रूपये साठ लाख मात्र) रांज्याश की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है।

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015दिनांक 30 मार्च,2015 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों पर व्यय की जायेगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से

http://shasanadesh.up.nic.in

शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति के प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशो/वित्तीय नियमों का पालन किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी का होगा।

(8) बाट आउट एवं प्रोप्रोराइटरी श्रेणी के कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा। प्रोप्रोराइटरी प्रकृति के कार्यो पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी का होगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत--04-कला तथा संस्कृति - 800-अन्य व्यय-17-जनपद गौतमबुद्ध नगर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक संकुल केन्द्र का निर्माण-24-वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

संख्या- / 2017 / 2767(1) /चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ ।
5 - महाप्रबन्धक (दी0अ0) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,बी-5/101, शफदरगंज इन्क्लेव ,नई दिल्ली।
6- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,पीएमसी इकाई, ई-15 , सेक्टर-61 नोएडा।
7 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री ।
9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in